दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-३३८ वा | मंगळवार १५ जुलै २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

ज्ञानराधा मल्टीस्टेट सोसाइटी की आर्थिक धोखाधड़ी पर तत्काल कार्रवाई करें-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बीड जिले की सभी मल्टीस्टेट सहकारी क्रेडिट सोसाइटीज की जांच कर रिपोर्ट पेश करें

मुंबई, १४ जुलाई:
बीड स्थित ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में हुए आर्थिक घोटाले के संबंध में दोषियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए, और सोसाइटी की शेष २३८ संपत्तियों को तुरंत जब्त किया जाए - ऐसा सख्त निर्देश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। विधान भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह कार्रवाई ठेवीदारों को न्याय दिलाने और उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है।

सोसाइटी की धोखाधड़ी का खुलासा:

ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने १०% से १८% तक आकर्षक ब्याज दरों का लालच देकर मुदत जमा, बचत जमा, और कंपाउंड जमा जैसी योजनाओं के ज़रिए आम जनता से बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया था। बाद में यह सामने आया कि इस प्रक्रिया में ठेवीदारों के साथ धोखाधड़ी की गई है।

मुख्यमंत्री का कड़ा रुख:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट निर्देश दिए कि

संबंधित १९ आरोपियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए,

सोसाइटी की शेष २३८ संपत्तियों को बहुराज्य सहकारी संस्था नियंत्रक विभाग

के माध्यम से तुरंत जब्त किया जाए,

इस उद्देश्य के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जाए।

उन्होंने आगे कहा कि

इस धोखाधड़ी से कई आम और गरीब नागरिक प्रभावित हुए हैं। उन्हें आर्थिक राहत देने के लिए सभी संबंधित जांच एजेंसियों को तत्परता से काम करना होगा।

बैठक में उपस्थित प्रमुख नेता और अधिकारी:

इस बैठक में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, सामाजिक कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, विधायक प्रकाश सोलंके, अर्जुन खोतकर, सुरेश धस, संतोष दानवे, सुभाष देशमुख, विजयसिंह पंडित, रत्नाकर गंगारवेड, अपर पुलिस अधीक्षक किरण पाटील, उपअधीक्षक शशिकांत सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, सहकार एवं पणन विभाग के प्रधान सचिव और सहकार आयुक्त उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने अंत में यह भी स्पष्ट किया कि

बीड जिले की सभी मल्टीस्टेट सहकारी सोसाइटीज की पारदर्शिता को लेकर संबंधित विभागों को एक संयुक्त बैठक कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ठेवीदारों को राहत देना हमारी प्राथमिकता है और इन मामलों में कठोर और समयबद्ध निर्णय लिए जाएंगे।

हर जिले में 'पब्लिक सिक्योरिटी कानून' की होली जलाएगी कांग्रेस-हर्षवर्धन सपकाळ

सरकार और पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए लाया गया है यह कानून

मुंबई, २४ जुलाई २०२५:

'अर्बन नक्सल' को खत्म करने के नाम पर लाया गया पब्लिक सिक्योरिटी कानून पूरी तरह से काला कानून है, जो न सिर्फ बाहर से बल्कि भीतर से भी लोकतंत्र और नागरिकों की आवाज को कुचलने वाला है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस कानून का विरोध करती रही है। भले ही विधानसभा में बहुमत के बल पर सरकार ने इस कानून को जबरन पारित करा लिया हो, लेकिन कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा और राज्य के हर जिले में इस काले कानून की होली जलाई जाएगी।

यह घोषणा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने की।

गांधी भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोलते हुए सपकाळ ने कहा कि पब्लिक सिक्योरिटी कानून का उद्देश्य ही दमनकारी और असंवैधानिक है। इसका सीधा फायदा सरकार और उनके प्रिय उद्योगपतियों को होगा।

धारावी की जमीन पर कब्जा करने वाले, गढ़चिरोली के सूरजगढ़ में खनिज लूटने वाले और शक्ति पीठ महामार्ग पर रेड कारपेट की चाह रखने वाले उद्योगपतियों को यह कानून संरक्षण देगा।

वहीं दूसरी ओर, इन अन्यायों का विरोध करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता, आदिवासी, धारावी के निवासी, और किसान, जो जनता की आवाज़ बुलंद करते हैं - उन्हें नक्सली करार देकर जेल में डाल दिया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

सरकार का संदेश साफ है: सरकार की तारीफ करो, नहीं तो चुप रहो। विरोध करोगे, तो पब्लिक सिक्योरिटी कानून की लाठी से खामोश कर दिए जाओगे। यही इस कानून की असली मंशा है।

सपकाळ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह सवाल भी पूछा कि:

क्या संविधान की बात करना, शिवाजी-महात्मा फुले-डॉ. आंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाना, महात्मा गांधी और तुकाराम महाराज जैसे महापुरुषों के विचारों का प्रचार करना - नक्सलवाद है?

अगर ये विचार नक्सलवाद हैं, तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं इन्हीं विचारों का अनुयायी हूं। अगर मुझे गिरफ्तार करना है, तो फडणवीस साहब बेझिझक करें।सपकाळ ने यह खुला चैलेंज भी मुख्यमंत्री को दिया।उन्होंने यह भी कहा कि अगर फडणवीस कहते हैं कि वामपंथी विचार ज़हर फैलाते हैं, तो हम यह भी बताएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में कैसा ज़हर बोया जाता है।डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसरे और प्रो. कलबुर्गी - इन सभी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे अंधविश्वास और जातिवादी सोच के खिलाफ खड़े थे, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच के लिए लड़ते थे।

सपकाळ ने आरोप लगाया कि इन हत्याओं के पीछे जो ताकतें थीं, वही आज संभाजी ब्रिगेड के नेता प्रो. प्रवीण गायकवाड पर हुए हमले के पीछे हैं।

दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा नि:शुल्क कृत्रिम उपकरण

जांच शिविर से उठाएं लाभ-सांसद बजरंग सोनवणे का आवाहन

केज (जिला बीड़)

बीड़ जिले में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क कृत्रिम उपकरण वितरित करने के उद्देश्य से १८ से ३० जुलाई २०२५ के बीच पूर्व जांच शिविरों का आयोजन किया गया है। बीड़ के लोकसभा सांसद बजरंग सोनवणे ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे इस शिविर का लाभ जरूर उठाएं।

इस शिविर के माध्यम से दिव्यांगों को जयपुरी फुट, कृत्रिम हाथ, कैलीपर, व्हीलचेयर, ट्रायसाइकिल, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, ब्रेल किट, स्मार्टफोन, श्रवण यंत्र आदि उपकरण प्रदान किए जाएंगे। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेल्ट, वॉकर, लकड़ी की छड़ी, चश्मा, कृत्रिम दांत, सहारा स्टिक, कृत्रिम अंग, कान की मशीन, व्हीलचेयर-कमोड, सिलिकॉन गद्दी, नी-ब्रेस, स्पाइनल सपोर्ट, सर्वाइकल कॉलर जैसे उपकरणों का वितरण किया जाएगा।

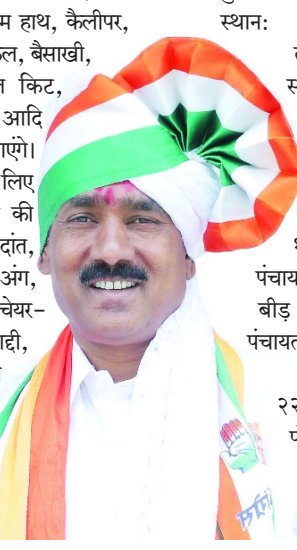

ये शिविर जिले के प्रत्येक तालुका मुख्यालय की पंचायत समिति कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे।

१८ जुलाई २०२५ को सुबह १० बजे केज तालुका में इस शिविर का उद्घाटन सांसद बजरंग सोनवणे के हाथों, प्रमुख मान्यवरों की उपस्थिति में किया जाएगा।

शिविर का समय सुबह १० बजे से शाम ६ बजे तक रहेगा, यह जानकारी एस.एन. मेश्राम, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला परिषद बीड़ द्वारा दी गई है।

आवश्यक दस्तावेज़:

दिव्यांगजनों के लिए:

दिव्यांग प्रमाण पत्र और णऊखऊ कार्ड

आधार कार्ड

वार्षिक आय प्रमाण पत्र / राशन कार्ड (आय सीमा: मासिक २२,५०० या वार्षिक २,७०,००० से कम)

वरिष्ठ नागरिकों के लिए:

आधार कार्ड

वार्षिक आय प्रमाण पत्र / राशन कार्ड (आय सीमा: मासिक १५,००० या वार्षिक १,८०,००० से कम)

तालुका-वार शिविर की तारीखें और स्थान:

तालुका	दिनांक	स्थान
केज	१८ जुलाई	पंचायत समिति अंबाजोगाई
१९ जुलाई	पंचायत समिति बीड़	
२१ जुलाई	पंचायत समिति माजलगांव	
२२ जुलाई	पंचायत समिति पाटोदा	
२३ जुलाई	पंचायत समिति वडवणी	
२४ जुलाई	पंचायत समिति आष्टी	
२५ जुलाई	पंचायत समिति धारूर	
२६ जुलाई	पंचायत समिति परळी	
२८ जुलाई	पंचायत समिति शिरूर	
२९ जुलाई	पंचायत समिति गेवराई	
३० जुलाई	पंचायत समिति	

सांसद बजरंग सोनवणे ने जिले के दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

पुणे में आंबेडकर भवन के लिए आज़ाद मैदान पर भव्य मोर्चा

विस्तारित स्मारक की मांग को लेकर ५ घंटे तक धरना सभा, सरकार को १५ अगस्त तक डेडलाइन

/ विशेष प्रतिनिधि

मुंबई, १४ जुलाई:

पुणे के मंगलवार पेठ क्षेत्र में स्थित भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन का विस्तार कर वहाँ बाबासाहेब का भव्य स्मारक बनाया जाए - इस प्रमुख मांग को लेकर सोमवार को पुणे के सभी दलों के आंबेडकरी कार्यकर्ताओं ने मुंबई के आज़ाद मैदान में एक ज़ोरदार मोर्चा निकाला और लगभग पाँच घंटे की विरोध सभा का आयोजन किया।

यह आंदोलन विधानमंडल के पावसाळी अधिवेशन (मानसून सत्र) की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों भीम अनुयायियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस दौरान नियोजित स्मारक स्थल की जमीन एक निजी बिल्डर को सौंपे जाने पर कड़ा विरोध और आक्रोश भी व्यक्त किया गया।

प्रमुख नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति:

आंदोलन में पूर्व मंत्री अविनाश महातेकर, एड. जयदेव गायकवाड़, एड. अविनाश साळवे, परशुराम वाडेकर, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, बाळासाहेब जानराव, वसंत साळवे, रोहिदास गायकवाड, शैलेश चव्हाण, राहुल डंबाळे, सुजित यादव, सुवर्णा डंबाळे, चंद्रकांता सोनकांबळे, एड. अरविंद तायडे, सीताराम गंगावणे, सचिन बनसोडे, युवराज बनसोडे, अशोक कांबळे, किरण आल्हाट, सुदीप गायकवाड, हिमाली कांबळे, प्रशांत मस्के, जांबुवंत मनोहर, नागेश भोसले और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन राहुल डंबाळे और शैलेश चव्हाण ने किया।

सरकार की ओर से आश्वासन:

पुणे कैंटोनमेंट के विधायक सुनील कांबळे स्वयं मोर्चा स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से संवाद कर यह विश्वास दिलाया कि स्मारक को लेकर सरकार सकारात्मक रुख अपनाए हुए है।

आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

इस दौरान राज्य की राज्यमंत्री (सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं नगर विकास) माधुरी ताई मिसाळ और विधायक सुनील कांबळे भी उपस्थित थे।

ज्ञापन स्वीकार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट आश्वासन दिया कि:

पुणे में बाबासाहेब के स्मारक को लेकर चल रहे आंदोलन की सरकार ने गंभीरता से दखल ली है। इस विषय पर मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है और शीघ्र ही एक सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ ने भी बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विस्तृत चर्चा की है।

१५ अगस्त तक अल्टीमेटम:

विरोध सभा में सभी वक्ताओं ने एकमत से चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे पर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलनकारी १५ अगस्त को निर्धारित स्थल पर कब्जा कर स्मारक निर्माण का कार्य स्वयं शुरू करेंगे और बिना स्मारक के रुकेंगे नहीं।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

जन सुरक्षा नहीं, जनता की जबरन चुप्पी!-

जनसुरक्षा विधेयक २०२५ के विरोध में बीड में प्रदर्शन

डॉ. गणेश ढवळे के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जताया विरोध

बीड, १४ जुलाई:

महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में विधानमंडल में पारित जनसुरक्षा विधेयक २०२५ को लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार देते हुए, सोमवार १४ जुलाई को बीड के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन सामाजिक कार्यकर्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता महासंघ के जिला प्रचारप्रमुख डॉ. गणेश ढवळे के नेतृत्व में हुआ।

इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल पी.सी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन

जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया।

प्रदर्शन में उपस्थित प्रमुख लोग:

शेख यूनुस, सुदाम तांदले, शिवशर्मा शेलार, शेख मुबीन, शेख मुस्ताक, कॉ. नामदेव चव्हाण (-ITUC नेता), पूर्व सैनिक अशोक येडे (आप बीड जिला अध्यक्ष), रामधन जमाले (INTUC बीड जिला अध्यक्ष), डी. जी. तांदले (किसान सभा महाराष्ट्र अध्यक्ष), कॉ. ज्योतीराम हरकुडे, कॉ. भाऊराव प्रभाळे (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बीड सचिव), जगन्नाथ बहीर (मराठवाड़ा शिक्षक नेता), कॉ. बी.एस. दहिवडे, सखाराम बेगडे (INTUC सचिव), कॉ. वी.एन. सवांसे आदि आंदोलन में शामिल हुए।

विधेयक पर कड़ा विरोध:

डॉ. गणेश ढवळे ने कहा,

यह विधेयक पूरी तरह राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने वाले कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और संगठनों को चुप कराने का हथियार बनाया गया है। इस विधेयक में संशय के आधार पर गिरफ्तारी, संगठनों को गैरकानूनी ठहराना, संपत्ति जब्त करना, बैंक खाते सील करना जैसी असीमित शक्तियां दी गई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि,

बिना जनसुनवाई के पारित किए गए इस विधेयक के खिलाफ अब तक १२ हजार से अधिक नागरिकों व संगठनों ने आपत्ति दर्ज की है। नक्सलवाद शब्द का स्पष्ट उल्लेख न होते हुए भी कट्टर वामपंथी विचारधारा जैसे अस्पष्ट शब्दों के आधार पर कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए मांग – विधेयक तत्काल रद्द किया जाए

आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कहा कि,

यह जनसुरक्षा नहीं बल्कि जनमुस्कटदाबी (जनता को जबरन चुप कराना) विधेयक है। लोकतंत्र में आंदोलन करना और सवाल पूछना मौलिक अधिकार है। इस विधेयक के दुरुपयोग की पूरी आशंका है, इसलिए इसे तत्काल रद्द किया जाए।

अमली पदार्थ बेचने वालों पर 'मोक्का' लगाने के लिए कानून में बदलाव होगा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी जानकारी

रिपोर्ट : जमीर काज़ी । मुंबई

राज्य में मादक पदार्थ (अमली पदार्थ) बेचने के मामलों में आरोपी बार-बार गिरफ्तार होने के बावजूद जमानत पर रिहा हो जाते हैं। ऐसे मामलों पर 'महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम' (मोक्का) लागू किया जा सके, इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा - यह आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में दिया।

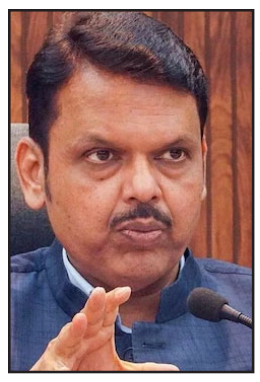

आमदार विलास भुमरे द्वारा प्रस्तुत लक्षवेधी सूचनापत्र का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी।

इस दौरान शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के विधायक वरुण सरदेसाई ने मुंबई महानगर में बढ़ रही ड्रग्स तस्करी पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि बांद्रा, बेहरामपाड़ा जैसे क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समाज के युवा बड़ी संख्या में नशे की लत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इन युवाओं को नशे से बाहर लाने के लिए विशेष योजनाएं चलाने की ज़रूरत है। साथ ही यह भी कहा कि ड्रग्स बेचने वाले पेडलर अक्सर कानून की नजर में बालिग नहीं माने जाते, जिससे उन्हें सजा नहीं मिलती - ऐसे में आरोपी की उम्र की शर्तों में बदलाव होना चाहिए।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने उत्तर देते हुए कहा कि फिलहाल एनडीपीएस (छ्ज्झड) कानून के तहत मोक्का सभी मामलों में लगाया नहीं जा सकता। लेकिन राज्य विधानसभा ने इस बाबत संशोधन को मंजूरी दी है और एक-दो दिनों में विधान परिषद से भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद जो लोग बार-बार मादक पदार्थ बेचने का धंधा करते हैं, उनके खिलाफ 'मोक्का' के तहत कठोर कार्रवाई की जा सकेगी।

छत्रपति संभाजीनगर में अभियान तेज

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्रपति संभाजीनगर में मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इसके साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। हर पुलिस थाने में 'एंटी-नार्कोटिक्स यूनिट' स्थापित की गई है। इसके माध्यम से कार्रवाई तेज हुई है और विशेष रूप से स्कूलों से जुड़ा संपर्क अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है।

पिछले साल छत्रपति संभाजीनगर की ३७९ से ३८९ स्कूलों का दौरा कर २५७ कार्यशालाओं के माध्यम से नशा विरोधी जनजागरूकता अभियान चलाया गया है। बेहरामपाड़ा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष छापेमारी की जाएगी और ड्रग्स बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विदेशी अपराधियों का डिपोर्टेशन आसान होगा

मुख्यमंत्री ने बताया कि कई बार विदेशी नागरिक भारत आकर अपराध करते हैं और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक यहां रहते हैं। ऐसे मामलों की कार्रवाई लंबी चलती है। इस विषय पर केंद्र सरकार से चर्चा चल रही है ताकि छोटे मामलों में केस वापस लेकर तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर संबंधित विदेशी आरोपी को 'डिपोर्ट' किया जा सके। इसके लिए एक प्रभावी प्रणाली बनाई जा रही है।

कानून में उम्र सीमा में भी होगा बदलाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थ मामलों में आरोपी अक्सर अपनी उम्र कम बताकर सजा से बच जाते हैं। इसलिए कानूनी रूप से अल्पवयस्क की परिभाषा में संशोधन पर विचार चल रहा है - जैसे बलात्कार मामलों में अपराध की गंभीरता के अनुसार आरोपी की उम्र दो साल तक घटाकर कठोर सजा दी जाती है, उसी तरह का विचार इन मामलों में भी किया जा रहा है।

राज्य में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जा रही है। ड्रग-फ्री अभियान और नार्को कोऑर्डिनेशन तंत्र की पुनर्रचना की गई है। एक मादक पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया गया है और राज्य के सभी पुलिस विभागों में स्वतंत्र 'एंटी-नार्कोटिक्स सेल' स्थापित किए गए हैं - ऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने अंत में स्पष्ट किया।

विनायकराव मेटे की जयंती पर शिवसंग्राम का मुंबई में भव्य शक्ति प्रदर्शन

अगर निष्ठा देखनी है, तो मेटे साहब के शिवसंग्राम को देखिए-डॉ.ज्योति मेटे

मुंबई (प्रतिनिधि):

शिवसंग्राम के संस्थापक अध्यक्ष, दिवंगत लोकनेता विनायकराव मेटे की जयंती १३ जुलाई, रविवार को दोपहर ४ बजे मुंबई के वडाला स्थित भारतीय क्रीड़ा मंदिर में मुंबई शिवसंग्राम की ओर से मनाई गई।

स्मृतियों में मेटे साहब नामक इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथियों के साथ-साथ प्रशासनिक सेवा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और सुप्रसिद्ध 'छावा' फिल्म के निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की प्रमुख उपस्थिति रही। इस अवसर पर कई लोगों ने विनायकराव मेटे की यादों को साझा किया और पहली बार शिवसंग्राम अध्यक्ष डॉ. ज्योति मेटे का आक्रामक भाषण सुनने को मिला।

संघर्ष की मिसाल थे मेटे साहब

बीड़ जिले से मजदूरी के लिए मुंबई आए विनायकराव मेटे का लगातार पांच बार विधायक बनना कभी उनके लिए भी सपना नहीं था। सिर्फ विधायक ही नहीं, उन्होंने 'शिवसंग्राम' नामक संगठन की स्थापना कर पूरे महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की और राज्य की राजनीति में अपनी गहरी छाप छोड़ी। मराठा, धनगर, मुस्लिम आरक्षण, शिवस्मारक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना, किसान पेंशन योजना, नशामुक्ति अभियान जैसे अनेक मुद्दों पर उन्होंने काम किया और अलग पहचान बनाई। मराठा आरक्षण को लेकर विधानसभा और न्यायालय में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा।

उनकी असामयिक मृत्यु के बाद आज उनकी जयंती मनाना उनके चाहने वालों के लिए एक दुखद अवसर बन गया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र से उनके असंख्य अनुयायियों ने वडाला के भारतीय क्रीड़ा मंदिर में श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई।

विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस अवसर पर मंच पर आईएएस अधिकारी श्री निर्मलकुमार देशमुख, मुंबई महापालिका के कार्यकारी अभियंता श्री नवनाथ घाडगे, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री पी. वाय. देशमुख, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण म्हात्रे, राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) के श्री प्रमोद हिंदुराव, शिवसंग्राम प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रभाकर कोलंगडे, श्री शेखर पवार, मीरा-भायंदर के नगरसेवक श्री अनिल भोसले, श्री संजय सिंघन आदि मान्यवर उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का प्रस्ताविक भाषण शिवसंग्राम के वरिष्ठ नेता नारायणराव काशीद ने दिया और आभार प्रदर्शन योगेश विचारे ने किया।

डॉ. ज्योति मेटे का भावुक और आक्रामक भाषण

शिवसंग्राम अध्यक्ष डॉ. ज्योति मेटे, जो हमेशा संयमी और शांत स्वरूप में दिखाई देती थीं, इस कार्यक्रम में अत्यंत आक्रामक और भावुक अंदाज़ में दिखीं। उन्होंने कहा -

अगर किसी को देखना हो कि निष्ठा क्या होती है, तो मेटे साहब के शिवसंग्राम को देखे। इस संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सलाम है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। हमनें पिछले साल की तरह इस साल भी शिवसंग्राम के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए ५ लाख रुपये का बीमा सुरक्षा कवच सुनिश्चित किया है।

डॉ. मेटे ने आगे कहा कि -

मैं मेटे साहब के आरक्षण आंदोलन की प्रत्यक्ष साक्षी रही हूं। वे हमेशा मुझसे कानूनी पहलुओं पर चर्चा करते थे। उनका मराठा आरक्षण के लिए न्यायालयीन संघर्ष अभूतपूर्व था। जब उन्हें मदद की जरूरत होती थी, मैं पर्दे के पीछे खड़ी रहती थी। मेटे साहब का कोई निजी स्वार्थ नहीं था, बल्कि जिस समाज में वे जन्मे, उसी को न्याय दिलाना उनका मिशन था। आज कई लोग आरक्षण पर बात करते हैं लेकिन मेटे साहब की तस्वीर दिखाने से कतराते हैं, आखिर वे क्या सिद्ध करना चाहते हैं?

उन्होंने यह भी कहा -

साहब का वसा और वारसा हम मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। जिस विश्वास से आपने मुझे यह ज़िम्मेदारी सौंपी है, मैं उसे निभाने में सक्षम हूं। जयंती सबके लिए सामान्य अवसर हो सकता है, लेकिन पत्नी के लिए यह दिन बेहद पीड़ादायक होता है। सभागार खचाखच भरा रहा जिस सभागार में श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, वहां सुबह से ही मेटे साहब के चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम शुरू होते ही सभागार पूरी तरह भर गया और बाहर भी भारी भीड़ मौजूद थी। इस अवसर पर शिवसंग्राम की मुंबई में मजबूत ताकत दिखाई दी।

लक्ष्मण उतेकर की विशेष उपस्थिति 'छावा' फिल्म के निर्देशक लक्ष्मण उतेकर इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि वे मेटे साहब के प्रति प्रेम और आदर के कारण उपस्थित हुए हैं। जैसे ही वे सभागार में पहुंचे, वहां छत्रपति संभाजी महाराज के जयघोषों से माहौल गूंज उठा।

हिकमत और तालीम ए नबवी को सामने रखकर हालात का मुक़ाबला करें-हलीमुल्लाह क़ासमी

जमीयत को मज़बूत करें और उसके मिशन को हर घर तक पहुंचाएं-मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी

धुलिया (मौलाना शकील)

जमीयत उलमा के अकाबिरीन को अल्लाह ने कुरआनी और नब्वी इल्म के साथ साथ सियासी समाजी उतार चढ़ाव के गहरे इल्म से भी नवाज़ा है, वो हालात को बख़ूबी सिर्फ जानते ही नहीं बल्की उनका इलाज भी बड़ा बेहतर अंदाज़ में करते हैं, वो वक़्त की नब्ज़ को पकड़ कर ऐसे फैसले करते हैं और ऐसे क़दम उठाते हैं जो उम्मत को नुकसान पहुंचाए बिना कामयाबी से हमकनार करते हैं, आपका हमारा मिशन इस वक़्त बड़ों की इस जमात को मज़बूत करना और इसके मिशन ख़िदमात को आगे बढ़ाने का है, हम दस्तूर को मद्देनजर रखते हुए काम करने वाले बनें । ऐसी नसीहतें आदेश जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब क़ासमी ने उत्तर महाराष्ट्र जमीयत उलमा अरशद मदनी के तरबियती इजलास में धुलिया में बयान फरमाई।

हज़रत मौलाना आरिफ साहब उमरी नायब सदर महाराष्ट्र ने जमीअत का तारीखी पसमंजर और ख़िदमात को मुख्तसर बयान फरमाया।

मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह साहब क़ासमी ने जमीअत उलमा की अवामी ख़िदमात का ज़िकर किया, इस मौके पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी ने मुल्क के मौजूदा हालात में जमीयत की अहमियत और ज़रूरत पर बड़ा अहम बयान फरमाते हुए जमीयत की मौजूदा ख़िदमात का ज़िकर किया और अराकीन से अपील की के जमीयत उलमा की इन सेवाओं ख़िदमात को अवाम तक जनता तक पहुंचाएं। अपने बेबाक अंदाज़ में उन्होंने अरशद मदनी और जमीयत उलमा की बड़ी बड़ी मिलली ख़िदमात का ज़िकर किया। क़ारी युनुस साहब ने इसलाह ए मुआशरा की अहमियत पर ज़ोर देते हुए इख़लास के साथ ख़िदमात अंजाम देने की नसीहत दी । सदारती खिताब के बाद कुछ अहम तजावीज़ पेश की गई। वक़्फ़ का काला क़ानून मंज़ूर नहीं। लाउडस्पीकर पर शरारती बयानबाजी और सिर्फ मुसलमानो को टारगेट करना मंज़ूर नहीं। कुरैशी बिरादरी पर होने वाले ज़ुल्म के हम खिलाफ हैं हम हर मज़लूम के साथ हैं, मौलाना शकील, मौलाना अब्दुल कय्यूम मालेगांव और मुश्ताक सूफी ने पेश किया और अराकीन ने हाथ उठाकर ताईद किया। आखिर में हज़रत ही की दुआ पर तरबियती इजलास ख़त्म हुआ। इस इजलास को कामयाब बनाने में धुलिया जमीअत की पूरी टीम ने ज़ोरदार मेहनत की, सदर हाफिज हिफजुर्रहमान, मौलाना शकील क़ासमी, हाजी मुश्ताक सूफी, हाजी मुख़्तार शरीफ, हाजी शव्वाल अमीन, शेख परवेज़, ताहिर भाई, हाफिज रिज़वान,हाजी असगर, यूसुफ पापा सर, एजाज़ रफीक, आरिफ अर्श, शेख़ अयाज़ अहमद, अब्दुल मोहित, हाफीज रिज़वान, मुफ्ती शफीक क़ासमी, मौलाना ज़ाहिद, मसूद अहमद, जाहिद अहमद, अबूजर, मौलाना मुबीन, सलीम भैया, अकबर सर, नोमान सर तमाम ही साथियों की मेहनत रंग लाइ। इजलास में जलगांव मालेगांव नंदुरबार नवापुर अहमदनगर नासिक यावल चोपड़ा एरंडोल शहादा शीरपुर पूरे खानदेश से ज़िम्मेदार बड़ी तादाद में शरीक हुए।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com